संख्या: 471/I/2006-04(1)/29/05

प्रेषक,

डा० एम०सी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि०
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांक 24 मार्च, 2006

विषयः— वित्तीय वर्ष 2005—06 में नई/पुरानी लघु/वृहद जल विद्युत परियोजनाओं के डी.पी.आर. हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 3374/I/2005-04(1)/27/05, दिनांक 20.07.2005 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005—06 में नई/पुरानी लघु/वृहद जल विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण, पुनरोद्धार आदि आर.एम.यू. की डी.पी.आर. बनाने हेतु रु0 20.00 करोड़ (रु0 बीस करोड़ मात्र) की धनराशि इस प्रतिबंध के अधीन आपके निवर्तन पर रखी गई थी कि इस धनराशि में से रु0 14.00 करोड़ नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिये तथा रु0 6.00 करोड़ पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनाने पर व्यय किया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनाने हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 6.00 करोड़, जो कि उपयोग नहीं हो पायेगी, को शासनादेश संख्याः 2866/I/2005-04(1)/29/05, दिनांक 21.06.2005 के संलग्नक में वर्णित 04 परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना की तैयारी के सम्बन्धित कार्यों हेतु ही उपयोग में लिया जाय। इसी प्रकार नई परियोजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 14.00 करोड़ में से रु0 2.00 करोड़, जो कि अवशेष रहेगी, को भी उपरोक्त वर्णित शासनादेश संख्याः 2866/I/2005-04(1)/29/05, दिनांक 21.06.2005 के संलग्नक में इंगित 04 परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना की तैयारी से सम्बन्धित कार्यों हेतु उपयोग में लिया जाय। तदानुसार समायोजन से अन्य परियोजनाओं पर व्यय की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में सभी शर्तें उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 20.07.2005 एवं दिनांक 21.06.2005 की ही लागू रहेंगी।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 3374, दिनांक 20.07.2005 द्वारा नई परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भैरोघाटी परियोजना के लिये केवल उतनी ही धनराशि इस मद से वहन की जाय, जितनी कि इस परियोजना की डीपीआर तैयारी हेतु शासन व 'कैनाडियन कामर्शियल कारपोरेशन' के मध्य हुये अनुबन्ध तथा अनुपूरक अनुबन्ध के कम में शासन अंश के रुप में अनुमन्य है तथा शेष धनराशि की व्यवस्था उक्त अनुबन्ध के अधीन ऋण प्राप्त कर ली जाय। इस प्रकार भैरोघाटी परियोजना के लिये यूजेवीएनएल द्वारा चिन्हित की गई धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को भी शासनादेश संख्या 2866/I/2005-04(1)/29/05, दिनांक 21.06.2005 के संलग्न में वर्णित 04 परियोजनाओं के सापेक्ष परियोजना तैयारी व्ययों के वहन हेतु समायोजन से उपयोग किया जाय, परन्तु ऐसी स्थिति में इस धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश संख्या 3374/I/2005-04(1)/27/05, दिनांक 20.7.2005 की शर्तें प्रभावी होंगी।

उक्त शासनादेश को केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 490(क)/XXVII(2)/2006, दिनांक 23 मार्च, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

...2

C:\Documents and Settings\...\Budget.doc

471 (1)

संख्याः /I/2006-04(1)/29/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
2- जिलाधिकारी, देहरादून।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा० मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
5- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6- श्री एल०एन० पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7- नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8- वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
9- प्रभारी, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- ऊर्जा सैल, उत्तरांचल शासन।
11- गार्ड फाईल।
12- प्रतिलिपि पत्रावली सं० /I/2005-04(1)/27/05 हेतु।

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)
अनु सचिव